



रामनाथ कुशवाहा अग्रनी- ४८२४/२०१८) सीधी शुद्धा

अम्बा विलो १९-२०१८
बा। प्राप्ति छक्के भेटु
कि २२-७-१८ नियत।

पुनरीक्षण प्र.क.

१९ जून २०१८ मुस० बबुली पत्नी जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-६० वर्ष

- रामनाथ कुशवाहा पिता जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-२४ वर्ष
 ३- ओम प्रकाश पिता जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-२२ वर्ष
 ४- सुमन पुत्री जवाहरलाल कुशवाहा उम्र-२० वर्ष, सभी निवासी
 ग्राम-मधुरी कोठार तहसील गोपद बनास जिला-सीधी म०प्र०

पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

रामनाथ कुशवाहा

उम्मेद
कीनोष

१९/७/२०१८

- १- मोहन कुशवाहा पिता छवीले कुशवाहा
 २- पार्वती तनय छवीले कुशवाहा
 ३- उदयराज पिता छवीले कुशवाहा फौ०
 ३.क- तनेसिया पति उदयराज
 ख- प्रमोद पिता उदयराज
 ग- देवीदीन पिता उदयराज
 ४- सरोज पिता छवीले कुशवाहा
 ५- शिवराज पिता छवीले कुशवाहा
 ६- फूटे पिता छवीले कुशवाहा
 ७- मुल्ले पिता छवीले कुशवाहा
 ८- कुंवारे पिता बंशी कुशवाहा फौ० वारिसान

रामनाथ कुशवाहा

प्र

क— श्री निवास तनय कुंवारे

९— बैजनाथ पिता छवीले कुशवाहा, सभी निवासी ग्राम—तरका तहसील
बहरी जिला—सीधी म0प्र0 ——————गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार बहरी के प्रकरण क्रमांक.
153 / अ—74 / 2017—18 मे पारित
आदेश दिनांक—30.06.2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा—50 म0प्र0
भू—राजस्व संहिता 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवाति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक ८०१-४५२४/१८/२०१८/२२२।

गुरु. नवाला / महानानी वाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२६/१२/१८	<p>आवेदक की ओर से श्री ३१८. नांदा. ३२२१०४ अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - नदी के प्रकरण क्रमांक ८३/३१-७४/१८-१८ में पारित आदेश दिनांक ३०-६-१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - नदी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ०३/०४/१९ को कलेक्टर जिला - नदी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p> 	